Growth of food processing industries in Maharashtra

*85. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the State of Maharashtra has the requisite potential for the growth of food processing industries;

(b) if so, what incentives are being provided by the Central Government to the food processing industries in the State with details thereof; and

(c) what steps Government have taken to ensure rapid growth of food processing industries in Maharashtra?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI K.P. SINGH DEO): (a) to (c) There is enough potential for developing food processing units in the State of Maharashtra. With a view to encourage investment for food processing industries, Government have liberalised its policies and have delicensed all food processing industries except distillation and brewing of alcoholic beverages, sugar and those items reserved for small scale sector. Government also permits foreign equity investment for setting up of food processing industries. Various other incentives like liberalisation of foreign technology agreements and fiscal reliefs for food processing industries have already been granted.

Ministry also operates some Plan Schemes under which financial assistance is extended in respect of proposals received through State Governments for setting up/upgrading food processing units in the joint venture, assisted/ cooperative sector or private sector, etc. Financial assistance under the plan schemes has been extended in respect of such proposals covering fruits & vegetable processing, meat & poultry processing, fisheries, grain processing, etc. to the extent of Rs. 396.71 lakhs, during the first 3 years of the 8th Five Year Plan.

Construction of By-Pass Road in Tamil Nadu

*86. SHRI V.P. DURAISAMY: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether there is any proposal with Government to lay a by-pass road for about 8.3 Kms. on N.H. 7 at Namakkal, Salem district, Tamil Nadu;

(b) whether the land for the above purpose has been acquired;

(c) whether the Central Government are going to allocate funds for the purpose during the current financial year and if so, the quantum thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI M. RAJASEKARA MURTHY): (a) and (b) Yes, Sir. The work of land acquisition for Namakkal By-pass on National Highway 7 in Salem District was sanctioned for Rs. 83.11 Lakh in November, 1992 and the work is in progress.

(c) and (d) A sum of Rs. 12.5 crores has been allocated during 1995-96 for normal developmental works, including the above work, on National Highways in Tamil Nadu.

मध्य प्रदेश और हरियाणा में संचार नेटवर्क में सुधार

*87. **श्री अजीत जोगी:**
श्री एस॰ एस॰ सुरजेवाला:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश और हरियाणा में टेलीफोन, डाक एवं तार सेवाओं में सुधार लाने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान इन राज्यों द्वारा अर्जित राजस्व अन्य राज्यों की तुलना में अधिक था;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के दौरान इन सेवाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ङ) वर्ष 1995-96 के दौरान इन सेवाओं में कितना सुधार हुआ;

(च) क्या उक्त सभी सेवाएं इन राज्यों के प्रत्येक गांव में उपलब्ध करवाए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इन सुविधाओं को कब तक उपलब्ध करवा दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी, हां।

(ख) से (छ) विवरण के रूप में ब्यौरा सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) से (छ) मध्य प्रदेश सर्किल

(ख) दूरसंचार और डाक सेवाओं में और सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं:-

I. दूरसंचार

1. नेटवर्क में नई प्रौद्योगिकियों का अधिष्ठापन

2. पुराने और जिन एक्सचेंजों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, उनका प्रतिस्थापन

3. बाह्य संयंत्रों का उन्नयन

4. सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण

5. एक्सचेंजों के निष्पादन का उच्च स्तर पर प्रबोधन

6. कर्मचारियों की क्षमता को उन्नत बनाने के लिए उन्हें पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करना।

II. डाक

7. समूचे देश के सभी शहरों और बड़े-बड़े कस्बों में स्थानीय पत्रों के लिए एक पृथक रूप से पद्धति लागू की गयी है जिसका उद्देश्य स्थानीय पत्र-डाक को अगले कार्य दिवस को वितरित करना है।

8. अंतर्राज्य, अंतर्जिला और ग्रामीण क्षेत्रों सहित अन्तर्जिला, जिला के लिए वितरण के मानक निर्धारित कर दिये गये हैं। विहित स्तरों पर इन मानकों के अनुसरण की निगरानी की जाती है और जहां कहीं विलम्ब देखा जाता है, वहां उसके सुधार के लिए कार्यवाही की जाती है।

9. दिल्ली से भोपाल और भोपाल से दिल्ली को भेजे जाने वाले पिन कोड अंकित पत्रों को शीघ्रता से राजधानी चैनल पर भेजा जाता है।

10. मध्य प्रदेश में रायपुर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर तथा इन्दौर में से किसी भी शहर में डाला गया पत्र जो इन्हीं में से किसी शहर में भेजा जाना है, का पारेषण विशेष प्रणाली द्वारा किया जाता है। टेलीफोन, तार तथा डाक कार्य-कलापों की विकास योजनाएं निम्नानुसार हैं:--

1.टेलीफोन (1995-96 के लिए योजना)

(i) चालू किये जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंज = 200

(ii) प्रदान किये जाने वाले नये टेलीफोन कनेक्शन = 1,00,000

(iii) ग्रामीण टेलीफोन के प्रावधान = 10400

(iv) एसटीडी सेवाएं (एसटीएनएस) लागू करना = 100

(v) सार्वजनिक टेलीफोन (पीसीओएस)

का प्रावधान स्थानीय = 1050

एस टी डी = 3200

2. तार (वर्ष 1995-96 की योजना)

(i) भोपाल के 64 पी सी ओ और जबलपुर तथा इन्दौर के 32 पीसीओ की स्टोर एण्ड फारवर्ड मैसेज स्विचिंग सिस्टम (एसएफएमएसएस) स्थापित की जा रही है।

(ii) नेटवर्क में 65 इलेक्ट्रानिक की-बोर्ड कासेंन्ट्रटरों और 500 इलेक्ट्रॉनिक की-बोर्डों को लागू किये जाने की भी योजना है। दस्तावेज पारेषण के लिए 100 फैक्स मशीनें भी संस्थापनाधीन हैं।

3. डाक: आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन महीनों के दौरान 101 डाक घरों को स्वीकृति दी गयी है। 1995-96 के दौरान 18 डाकघरों के खोले जाने की योजना और लक्ष्य भी निर्धारित कर दिये गये हैं।

(ग) वर्ष 1992-93 से 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश सर्किल द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

	1992-93	1993-94	1994-95
	(करोड़ रु० में)		
टेलीफोन और तार	208.69	268.76	344.33
डाक	31.68	35.48	35.40

तीन वर्षों के दौरान टेलीफोन तथा तार सेवाओं से अर्जित किया गया राजस्व, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एण्ड कश्मीर, नार्थ-ईस्ट, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल द्वारा अर्जित राजस्व की अपेक्षा काफी अधिक था। वर्ष 1993-94 में डाक विभाग के माध्यम से अर्जित किया गया राजस्व, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान,

उड़ीसा, नार्थ-ईस्ट, और मूल सर्किलों द्वारा और 1992-93 तथा 1994-95 के दौरान जम्मू और कश्मीर, बिहार, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और मूल सर्किलों द्वारा अर्जित राजस्व की अपेक्षा काफी अधिक था।

(घ) वर्ष 1992-93 से 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश सर्किल द्वारा किये गये व्यय (प्रचालन/पूंजीगत कार्यों पर) का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

	1992-93	1993-94	1994-95
	(करोड़ रु. में)		
टेलीफोन तथा तार			
(i) प्रचालन संबंधी खर्च	79.44	94.17	108.20
(ii) पूंजीगत खर्च	279.24	336.95	380.16
डाक	75.21	84.99	93.93

(ङ) वर्ष 1992-93 से 1995-96 के दौरान मध्य प्रदेश में इन सेवाओं में सुधार के स्तर का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

	92-93	93-94	94-95	95-96
		(करोड़ रु. में)		
(i) टेलीफोन शिकायतें/ 100 स्टेशन/माह	19.5	17.0	14.77	15.13
(ii) टेलीफोन दोष/ 100 स्टेशन/माह	14.7	13.1	12.36	12.0
(iii) दिन के 12 घंटों के भीतर तार वितरण	90.8	91.4	93.5	94.0

ये आंकड़े पूरी तरह अखिल भारतीय मनदण्डों की तुलना के अनुरूप हैं।

(च) और (छ) **दूरभाष और तार:**

लम्बी दूरी वाले सार्वजनिक दूरभाषों के माध्यम से 76220 गांवों में से 26772 गांवों को दूरभाष और तार-सुविधाएं प्रदान की गयी हैं। शेष गांवों को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये सुविधाएं प्रदान कर दी जाएंगी।

डाक:

मध्य प्रदेश के सभी गांवों को डाकघर की सुविधा प्रदान करने की ऐसी कोई योजना नहीं है। तथापि, मध्य प्रदेश के सभी गांवों को प्रतिदिन डाक वितरण की सुविधा प्रदान की जा रही है।

हरियाणा सर्किल

(ख) दूरसंचार तथा डाक सेवाओं में और सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

I. दूरसंचार

1. नेटवर्क में नई प्रौद्योगिकियां शामिल करना।

2. पुराने तथा मियाद समाप्त एक्सचेंज बदलना।

3. वाह्य संयंत्र का उन्नयन।

4. सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण।

5. एक्सचेंजों के कार्य-निष्पादन की उच्चतर स्तर पर निगरानी।

6. कर्मचारियों के कार्य कौशल का दर्जा बढ़ाने के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण।

II. डाक

7. समस्त देश में सभी शहरों तथा बड़े नगरों में स्थानीय पत्रों के लिए अलग प्रणाली आरंभ की गई है, जिसका उद्देश्य स्थानीय पत्र/डाक को अगले कार्य-दिवस को वितरित करना है।

8. अंत: राज्य, अंत: जिला और ग्रामीण क्षेत्रों सहित विभिन्न जिलों के लिए वितरण के मानक निर्धारित कर दिए गए हैं। विहित स्तरों पर इन मानकों के अनुसरण की निगरानी की जाती है और जहां कहीं विलम्ब देखा जाता है, वहां उसके सुधार के लिए कार्यवाही की जाती है।

9. गुडगांव और फरीदाबाद सहित हरियाणा में दिल्ली के आसपास स्थित शहरों के लिए डाक एकत्र करने, उसके

परिषण और वितरण के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं।

टेलीफोन, तार और डाक संबंधी गतिविधियों के लिए विकास योजनाएं निम्नानुसार हैं:

1. टेलीफोन: (वर्ष 1995-96 के लिए योजना)

(i) चालू किए जाने वाले नए टेलीफोन एकसचेंज	— 30
(ii) प्रदान किए जाने वाले नए टेलीफोन कनेक्शन	— 50,000
(iii) प्रदान किए जाने वाले ग्रामीण टेलीफोन	— 800
(iv) एसटीडी सेवाओं का आरंभ केन्द्र	— 30
(v) सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करना (पीसीओ)	
स्थानीय	— 500
एसटीडी	— 1500

2. तार (वर्ष 1995-96 के लिए योजना)

(i) इलैक्ट्रानिक की-बोर्ड कन्सैक्ट्रेटर	— 1
(ii) इलैक्ट्रानिक की-बोर्ड	— 34
(iii) सार्वजनिक टेलीफोन	— 16

3. डाक सेवाएं 8वीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान 35 डाकघर स्वीकृत किए गए थे और 1995-96 के दौरान 12 डाकघर खोलने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। वर्ष 1992-93 से 1994-95 के दौरान हरियाणा सर्किल द्वारा अर्जित राजस्व निम्नानुसार है:—

	1992-93	1993-94	1994-95
	(करोड़ रु में)		
टेलीफोन और तार	88.84	116.79	159.06
डाक	16.36	16.93	18.38

इन वर्षों के दौरान अर्जित किया गया राजस्व, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार (1994-95) से अर्जित राजस्व से अधिक था।

डाक विभाग के माध्यम से हरियाणा राज्य द्वारा अर्जित राजस्व, पूर्वोत्तर उड़ीसा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, और मूल सर्किलों से प्राप्त राजस्व से अधिक था।

(घ) वर्ष 1992-93 से 94-95 के दौरान हरियाणा सर्किल द्वारा किया गया व्यय (प्रचालन/पूंजी) निम्नानुसार है:—

	1992-93	1993-94	1994-95
	(करोड़ रु॰ में)		
टेलीफोन एवं तार			
(i) प्रचालन व्यय	17.08	30.10	34.85
(ii) पूंजीगत व्यय	127.65	94.82	118.98
डाक	34.37	38.79	40.16

(ङ) नीचे दिए गए वर्षों के दौरान हरियाणा में इन सेवाओं में जिस सीमा तक सुधार हुआ है, वह निम्नानुसार है:—

	92-93	93-94	94-95	95-96
(i) टेलीफोन शिकायतें/ 100 केन्द्र/प्रतिमाह	25.9	23.5	19.92	18.7
(ii) टेलीफोनों में से खराबीया/ 100 केन्द्र/प्रतिमाह	19.57	18.77	16.42	15.68
(iii) 12 घंटे के अंदर वितरित किए गए तार	96.7%	96.8%	97.2%	96.9%

ये आंकड़े अखिल भारतीय मानकों से बेहतर हैं।

(च) और (छ) टेलीफोन तथा तार

7190 गांवों में से 5127 गांव में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों के माध्यम से टेलीफोन और तार सुविधाएं प्रदान की गई हैं। शेष गांवों को 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।

डाक: हरियाणा के सभी गांवों को डाक-घर की सुविधा प्रदान करने की ऐसी कोई योजना नहीं है। तथापि, हरियाणा

के सभी गांवों को रोजाना डाक वितरित करने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

Length of National Highways

*88. SHRI JOY NADUKKARA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) what is the length of National Highways in different States in the country with details thereof;

(b) whether Government propose to include M.C. Road which is one of the oldest and longest roads in Kerala, in the list of National Highways; and

(c) the amount spent for construction of new National Highways in different States during the last three years with details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI M. RAJASEKARA MURTHY): (a) A Statement showing length of National Highways in different States is in the enclosed Statement. (*See* below).

(b) No, Sir.

(c) Improvement works amounting to about Rs. 630 lakhs have been approved so far in the last three years on new National Highways declared during 8th Plan.

Statement

Length of National Highways by Shri Joy Nadukkara. M.P:

S.No.	Name of States	N.H. Nos. (passing through States)	Total Length (Km.)
1.	Andhra Pradesh	4, 5, 7, 9, 16, 18 & 43	2888
2.	Arunachal Pradesh	52 & 52A	330
3.	Assam	31, 31B, 31C, 36, 37, 37A, 38, 39, 44, 51, 52, 52A, 53 & 54	2296
4.	Bihar	2, 6, 19, 23, 28, 28A, 30, 31, 32, 33	2237
5.	Chandigarh	21	24
6.	Delhi	1, 2, 8, 10 & 24	72
7.	Goa	4A, 17 & 17A	229
8.	Gujarat	8, 8A, 8B, 8C, 14, 15 & NE-I	1631
9.	Haryana	1, 2, 8, 10 & 22	698
10.	Himachal Pradesh	1A, 20, 21 & 22	854
11.	Jammu & Kashmir	1A & 1B	648
12.	Karnataka	4, 4A, 7, 9, 13, 17 & 48	1996
13.	Kerala	17, 47, 47A & 49	940
14.	Madhya Pradesh	3, 6, 7, 12, 16, 25, 26, 27 & 43	2946
15.	Maharashtra	3, 4, 4B, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17 & 50	2918
16.	Manipur	39 & 53	431
17.	Meghalaya	40, 44 & 51	472
18.	Mizoram	54, 54A & 54B	551
19.	Nagaland	36 & 39	113
20.	Orissa	5, 5A, 6, 23, 42 & 43	1649
21.	Pondicherry	45A	23
22.	Punjab	1, 1A, 10, 15, 20, 21 & 22	892
23.	Rajasthan	3, 8, 11, 11A, 12, 14 & 15	2931
24.	Sikkim	31A	62
25.	Tamil Nadu	4, 5, 7, 7A, 45, 45A, 46, 47 & 49	1896
26.	Tripura	44	200
27.	Uttar Pradesh	2, 3, 7, 11, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29 & 56	2733
28.	West Bengal	2, 6, 31, 31A, 31C, 32, 34, 35, 41 & 55	1638
		Total:	34,298